(163)

# HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

## Criminal Miscelleneous Petition No.16/2007

**PETITIONERS**

1. Ajay Upadhyay,
   S/o Shri Ramkishore Upadhyay,
   aged about 33 years.
2. Smt. Shakuntala Upadhyay,
   W/o Shri Ramkishore Upadhyay,
   aged about 60 years,
   (Both residents of MIG 393, Padmanabhpur, Durg, Tahsil and District Durg (C.G.)
3. Ashok Dwivedi,
   S/o Shri Padma Prakash Dwivedi, aged about 40 years.
4. Smt. Rashmi Dwivedi,
   W/o Shri Ashok Dwivedi, aged about 38 years.
   (Applicants No.3 & 4 residents of MIG 200, Padmanabhpur, Durg, Tahsil & District Durg (C.G.)
5. Smt. Preeti Sharma,
   W/o Shri Ajay Sharma, aged about 32 years, R/o Rajnandgaon, District Rajnandgaon (C.G.)

***Versus***

**NON-APPLICANT** State of Chhattisgarh,
Through : The District Magistrate,
Durg, District Durg (C.G.)

**(Application under Section 482 Cr.P.C.)**

**Appearance:**

Shri R.S. Marhas, counsel for the petitioners.

Shri Arun Sao, Govt. Advocate for the State on advance copy.

**ORAL ORDER**
**(13.06.2007)**

**SUNIL KUMAR SINHA, J.**

Heard.

This petition is filed for quashing of the charge sheet, which is filed after investigation of Crime No.28/2006, registered at Mahila Thana, Durg under Section 498-A read with Section 34 of IPC and Section 4 of the Dowry Prohibition Act, against the petitioners.

A perusal of the First Information Report would show that the complainant namely Deepti Upadhyay, who lodged the report, was married to petitioner No.1- Ajay Upadhyay on 6/3/2003. She makes various allegations against the petitioners, who are husband, mother-in-law and other relatives of the husband. In nutshell, she had made various allegations against them regarding treating her with cruelty quoting various instances.

A copy of the written report, on which, the FIR was registered reads as follows :

"प्रति,

थाना प्रभारी
महिला थाना
दुर्ग (छ0ग0)

विषयः—मेरे पति अजय उपाध्याय, दोनो ननदें (रश्मि द्विवेदी और प्रिती शर्मा), सास (शकुन्तला उपाध्याय) एवं मेरे बड़े नंदोई (अशोक द्विवेदी) द्वारा दिये जा रहे मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता एवं प्रताड़ना की सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन ।

महोदया,

विनम्र निवेदन है कि मेरा विवाह श्री अजय उपाध्याय आत्मज श्री रामकिशोर उपाध्यया के साथ दुर्ग में 6—3—2003 को विधिवत् संपन्न हुआ था । विवाह के समय मेरे पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार गृहकार्य के सभी सामान, सोने—चांदी तथा 3 लाख 50 हजार रूपये नगद स्वरूप (उपहार) दिया था । परंतु मेरी सास एवं ननदे इससे संतुष्ट नहीं थी वे कहती थी कि भिखारी घर से आई है भिखारिन है इसे नौकरानी की तरह रखो और मारपीट करो, ऐसा कहकर मेरे पति को भड़काती थीं । मेरा पति, सास एवं नंनदे लात एवं थप्पड़ से मारती थीं । ना मेरे मायके वालों से मुझे फोन पर बात करने देते थे ना मुझे उनसे मिलने देते थे । जब कभी मेरे मायके से कोई साड़ी वगैरह तोहफे में आती थी तो कहते थे की जादू—टोना करके तुम्हारे मायके वालों ने भेजा है । अगर मिठाई आती तो उसे फेंक देते या नौकरों का देते । इस प्रकार मुझे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते एवं मेरे मायकेवालों को तुच्छ समझकर उन्हें श्राप देते एवं कोसते थे ।

मई 2003 में माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हुए मेरी ननंद (रश्मि द्विवेदी) ने कहा की तुम्हारे बाप की तो औकात नहीं है की तुम्हे ए.सी. में बैठाते, हम बैठा रहे हैं ऐश करो और इसी प्रकार की और कई बातें कर के मुझे रास्ते भर सबके सामने जलील करते रहे । मेरे भाई रीतेश के एक्सीडेंट के समय भी sector-9 अस्पताल में मेरे रोने पर मेरी सास मुझे चिल्लाने लगीं और घर जाकर मुझे बहुत गालियां दीं । मेरी सास के जीजाजी एवं भाई की मृत्यु पर मेरी सास ने मुझे मनहूस कहा और कहा की मैंने जादू टोना करके उनहें मारा है । एक दिन मेरी बड़ी बहन का फोन आया तो इस बात पर मेरी सास एवं बड़ी ननंद को इतना गुस्सा आया की उन्होंने मुझे धक्का देकर तंग करना शुरू कर दिया और मेरी चूड़ी टूटकर मेरे हाथ में लग गई जिससे मेरे हाथ से खून आने लगा । जब मैंने ये बात बताई अपने पति को तो वो मुझे ही चिल्लाने लगे । एक बार मेरी सास मुझसे नाराज हो गई और मेरे पति और बड़ी ननंद ने मुझे उनसे माफी मांगने को कहा जब मैंने इंकार किया तो मेरी ननंद और पति ने मेरे साथ मारपीट की मेरे पति मेरा बाल खींचने लगे और कहा की तुझे तो तलाक दे दूंगा ।

आंवला नवमी के दिन भी मेरी बड़ी ननंद मेरे पैर दर्द को लेकर कोसने लगी और कहने लगीं कि मैं कुलक्षणी और मनहूस हूँ । और मुझे श्राप देने लगीं । 3 मार्च 2004 को मेरी बड़ी ननंद की शादी के सालगिरह के दिन मेरे नंदोई (अशोक द्विवेदी) आए, मैं किचन में थी इसलिए मुझे उनके आने का पता नहीं चल पाया इस बात से मेरे नंदोई इतने नाराज हुए की मुझे जलील करने लगे और कहा की मेरे साले (अजय) की किस्मत खराब है जो मेरी जैसी मनहूस लड़की की उनसे शादी हुई और कहा की बहुत जल्दी तुम्हारा तलाक करा देंगें ये कहकर मुझे और मेरे मायकेवालों को गालियां देने लगे । इस प्रकार मुझे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, मेरी छोटी ननंद (प्रिति शर्मा) मुझसे बात–बात पर नाराज हो जाती और मुझे कहतीं की मैं घटिया माँ–बाप की घटिया बेटी हूँ । मेरी सास द्वारा अपने बाप से दो लाख रूपये लेकर आने हमेशा से तंग करते आ रहे हैं इसलिए उनके कृत्य इतने खतरनाक हैं कि वे किसी भी समय कुछ भी क्षतिकारक कृत्य मेरे एवं मेरे मायके पक्ष के प्रति कर सकते हैं । अतः मैं कानूनी कार्यवाही करवाना चाहती हूँ ।

प्रार्थिया

दीप्ति उपाध्याय"

In the matter of **Pawan Kumar and others Vs. State of Harayana (1998) 3 SCC 309**, the Apex Court observed that the "cruelty" or "harassment" need not be physical. Even mental torture in a given case would be a case of cruelty and harassment within the meaning of Section 304-B and 498-A IPC. Explanation (a) to Section 498-A itself refers to both mental and physical cruelty. It further observed that again willful conduct means, conduct willfully done; this may be inferred by direct or indirect evidence which could be construed to be such. A girl dreams of great days ahead with hopes and aspirations when entering into a marriage, and if from the very next day the husband starts taunting her for not bringing dowry and calling her ugly, there cannot be greater mental torture, harassment or cruelty for bride.

In case of ***Gananath Pattnaik Vs. State of Orissa (2002) 2 SCC 619***, the Apex Court further held that the concept of cruelty and its effect varies from individual to individual, also depending upon the social and economic status to which such person belongs. "Cruelty" for the purposes of constituting the offence under the aforesaid Section need not be physical. Even mental torture or abnormal behaviour may amount to cruelty and harassment in a given case.

The Apex Court also held in the matter of ***Mohd. Hoshan and Another Vs. State of A.P. (2002) 7 SCC 414*** that the impact of the complaints, accusations or taunts on a person amounting to cruelty depends on various factors like the sensitivity of the individual victim concerned, the social background, the environment, education etc. Further mental cruelty varies from person to person depending on the intensity of sensitivity and the degree of courage or endurance to withstand such mental cruelty.

If we examine the contents of the FIR and also the statements of the complainant as well as other witnesses of the

complainant, it would appear that there is prima facie evidence regarding cruelty as is alleged by the complainant in the FIR and in the facts and circumstances of this case, in the opinion of this Court, no case for quashing of the charge sheet is made out in favour of the petitioners.

The petition has no merit and the same is dismissed at the motion stage itself.

Sd/-
Sunil Kumar Sinha
Judge

Shyna